संख्या-1/16/393/33-2-2016-125जी/2005

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी,

समस्त जिला पंचायतें, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 02 फरवरी, 2016

विषयः- जिला पंचायत के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-7/15/2758/33-2-15-125जी/2005, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 यथासंशोधित नियमावली, 2014 के प्राविधान दिनांक 11.12.2015 के पश्चात कराये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में ही लागू होंगे। तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)

प्रमूख सचिव।

संख्या-1/16/393(1)/33-2-2016-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

3- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।

5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।

6- समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

7- पंचायतीराज अनुभाग-1/3 ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द प्रधान)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in